

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 265]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 अगस्त 2023—भाद्र 4, शक 1945

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2023

क्र. एफ 3-6-2020-एक (1)-1841.—मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर भारत के संविधान की धारा 164 के अंतर्गत निम्नलिखित विधायकों को मंत्री/राज्यमंत्री नियुक्त किया है:—

मंत्री

1. श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन
2. श्री राजेन्द्र शुक्ल

राज्यमंत्री

1. श्री राहुल सिंह लोधी

मध्यप्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा नियुक्त उक्त मंत्रियों/राज्यमंत्रियों ने संविधान के अनुच्छेद 164 के खण्ड (3) के अनुसार, आज दिनांक 26 अगस्त, 2023 को प्रातः 08.45 बजे पद तथा गोपनीयता की शपथ ली और अपने पद ग्रहण किये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2023

क्र. एफ 3-6-2020-एक (1)-1842.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-6-2020-एक (1)-1841, दिनांक 26 अगस्त 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.

Bhopal, the 26th August 2023

No. F 3-6-2020-ONE(1)-1841.—The Governor of Madhya Pradesh, on the advice of the Chief Minister, under Article 164 of the Constitution of India has been pleased to appoint the following as Ministers/Minister of State :—

MINISTERS

1. Shri Gauri Shankar Chaturbhuj Bisen
2. Shri Rajendra Shukla

MINISTER OF STATE

1. Shri Rahul Singh Lodhi

The above mentioned Ministers/Minister of State appointed by the Governor took Oaths of Office and of Secrecy as required under clause (3) of Article 164 of the Constitution and entered upon their offices today at 08.45 in the morning.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VINOD KUMAR, Addl. Chief Secy.